राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(10)राज-6/99/10 जयपुर, दिनांक:- 15 फरवरी, 2001

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 102 के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xLIV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी, कुक्कुट और सुअर फार्मों को भूमि का आवंटन) नियम, 1958 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी, कुक्कुट और सुअर फार्मों को भूमि का आवंटन)(संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी, कुक्कुट और सुअर फार्मों को भूमि का आवंटन) नियम, 1958, जिसे इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है, के नियम 4 के उप-नियम (2) में अभिव्यक्ति "आवेदन को अपनी सिफारिश सहित या तो आयुक्त को अग्रेषित कर देगा या आवेदन को ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, खारिज कर देगा, आवेदन अग्रेषित करने से पूर्व" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आवेदन को या तो ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, खारिज कर देगा या आवेदन को स्वीकार करेगा, आवेदन स्वीकार करने से पूर्व" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 5 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 5 में खण्ड (i) के पश्चात और खण्ड (ii) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (iक) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iक) किसी नगर/गाँव की आबादी क्षेत्र के एक किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित भूमियां;"

4. नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 में,-

(i) उप-नियम (1) में अभिव्यक्ति "प्रति ढोर" के पश्चात और अभिव्यक्ति "और कुक्कुट फार्मों" के पूर्व आयी अभिव्यक्ति "आधा एकड" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक एकड का छठा भाग" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप-नियम (1) में अभिव्यक्ति "बतखों के लिए" के पश्चात और अभिव्यक्ति "और सुअर फार्म" के पूर्व आयी अभिव्यक्ति "एक एकड का पाँचवा भाग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक एकड का छठा भाग" प्रतिस्थापित की जायेगी।

क्रमशः.....2

(iii) उप-नियम (1) में आयी अभिव्यक्ति "तुअर फार्म की दशा में" के पश्चात और अभिव्यक्ति "और जहां चुकन्दर" के पूर्व आयी अभिव्यक्ति "तुअरों की प्रत्येक इकाई (पांच तुअर) के लिए 75 वर्ग फीट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "10 तुअरों की प्रत्येक इकाई के लिए 100 वर्ग गज" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुक्त की स्वीकृति अभिप्राप्त करने के पश्चात" हटायी जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

शासन उप सचिव, राजस्व

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री महो0/राजस्व मंत्री महो0/मुख्य सचिव महो0।
2. निजी सचिव, सचिव, राजस्व।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. संयुक्त रजिस्ट्रार (जजेज लाइब्रेरी) सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक दिनांक 15 फरवरी, 2001 में प्रकाशनार्थ।
9. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. उप निबन्धक, (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
11. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

विधि संहिताकरण विभाग को मय 7 अतिरिक्त प्रतियों के।

मुख्य विधि सहायक